

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थाईकरण/2017/

दिनांक:

-:आदेश:-

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/फार्मासिस्ट/नियुक्ति/2011/576 दिनांक 21.07.2012, 894-915 दिनांक 13.09.2012 एवं 1306 दिनांक 27.11.2012 के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों का फार्मासिस्ट के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार 2011 में जारी परिणाम 2015 में संशोधित किया गया था। निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/फार्मा/एफ. 40/संशो.परिणाम/2015/34 दिनांक 09.02.2015 के द्वारा संशोधित परिणाम में पुनः चयनित होने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 31 के तहत 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से स्थाई करते हुए इन्हें राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में उपलब्ध प्रावधानों के तहत फार्मासिस्ट के पद के पे बैण्ड 9300-34800 में ग्रेड पे 3600 परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि से देय होगा :-

| क. सं. | संशोधित रैंक | कर्मचारी का नाम | जन्म तिथि | पदस्थापन स्थान | कार्यग्रहण तिथि | परिवीक्षा काल पूर्ण करने की दिनांक | 2 वर्ष पश्चात् परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि |
|--------|--------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| 1 | 1148 | MAHESH KARNAWAT | 6-Nov-1977 | PMO TONK | 28.07.12 | 27.07.14 | 28.07.14 |
| 2 | 375 | KISHAN LAL SUTHAR | 17-Apr-1987 | Mathura Das Mathur Hospital, Jodhpur | 01.08.12 | 31.07.14 | 01.08.14 |
| 3 | 159 | HARIOM KHANDUJA | 24-Mar-1983 | CMHO Bharatpur | 25.07.12 | 24.07.14 | 25.07.14 |
| 4 | 1577 | SANJAY KUMAR MEENA | 4-Oct-1988 | CMHO Baran | 30.07.12 | 29.07.14 | 30.07.14 |
| 5 | 1679 | SATYANARAYAN | 10-Jun-1987 | CMHO Sikar | 27.07.12 | 26.07.14 | 27.07.14 |

उक्त कार्मिको का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्संबंधी इन्द्राज संबंधित कार्यालयध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा।

sd

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 31.10.2017

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थाईकरण/2017/523

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशेषाधिकारी, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, मुख्यालय।
- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
- संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
- संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- आदेश/निजी पत्रावली।
- प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर